बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(पशुपालन)

पशुपालक भाईयों हेतु अति आवश्यक सूचना

- राज्य के जिला मुख्यालय अवस्थित पशु चिकित्सालयों में **24x7** अर्थात् सप्ताह के सातों दिन चौबीस घण्टे पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।
- पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा सेवा की कार्य अवधि निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है :–
  - ❖ बाह्य रोगी पशु चिकित्सा सेवा :– 8:30 बजे पूर्वाह्न से 02:30 बजे अपराह्न तक
  - ❖ आपातकालीन सेवा :– 02:30 बजे अपराह्न से 08:30 बजे पूर्वाह्न तक।
- प्रथम चरण में पायलट बेसिस अर्थात् शुरूआती तौर पर पटना स्थित तीन पशु चिकित्सालयों यथा राजकीय पशु चिकित्सालय, बाँकीपुर, दानापुर एवं पटना सिटी में अवस्थित पशु चिकित्सालयों में तत्काल तीन पशु चिकित्सा पदाधिकारियों से **24x7** पशु चिकित्सा सेवा की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
- साथ ही राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में अवस्थित अनुमण्डल स्तरीय पशु चिकित्सालयों में भी तीन पशु चिकित्सा पदाधिकारियों से **24x7** पशु चिकित्सा सेवा की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
- अरवल, शेखपुरा, लखीसराय तथा शिवहर जिलों में अनुमण्डल स्तरीय पशु चिकित्सालय स्वीकृत नहीं रहने के कारण इन जिलों के जिला मुख्यालय में अवस्थित पशु चिकित्सालयों को जिला स्तरीय पशु चिकित्सालयों के रूप में चिन्हित किया गया है अर्थात् **24x7** पशु चिकित्सा सेवा की सुविधा इन पशु चिकित्सालयों में भी उपलब्ध करायी जा रही है।
- उपर वर्णित जिलों के निम्नलिखित प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों में **24x7** पशु चिकित्सा सेवा की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।:–
  - ❖ प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, अरवल/प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, शेखपुरा/प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, लखीसराय/प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, शिवहर
- इस सेवा हेतु विभाग के अन्य संस्थानों से पशु चिकित्सकों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन किया गया है।
- फिलहाल इन पशु चिकित्सालयों में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मी पशुपालकों को **24x7** पशु चिकित्सा सेवा आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- पशु चिकित्सालयों से संबद्ध किये गए पशु स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का कार्य एवं क्षेत्र भ्रमण आवश्यकतानुसार आपातकालीन सेवा की अवधि में किया जा रहा है।
- सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है कि **24x7** पशु चिकित्सा सेवा सुविधा से युक्त पशु चिकित्सालयों को एम्बुलेट्री वैन उपलब्ध कराएंगे। आकस्मिकता की स्थिति में आवश्यकतानुसार एम्बुलेट्री वैन का पशुओं की चिकित्सा हेतु उपयोग किया जा रहा है।
- सुरक्षा की दृष्टिकोण से रात्रि में आकस्मिकता की स्थिति में पशु चिकित्सा दल के प्रस्थान करने से पूर्व स्थानीय पुलिस थाना एवं जिला नियंत्रण कक्ष को जानकारी दी जा रही है।।
- राज्य स्तर पर आउटडोर–इनडोर पशु चिकित्सा सेवा की व्यवस्था :– राजकीय पशु चिकित्सालय, बाँकीपुर में बाह्य रोगी (आउटडोर) के पशु चिकित्सा व्यवस्था के साथ–साथ अन्तः रोगी (इनडोर) पशु चिकित्सालय की व्यवस्था होगी। आउटडोर–इनडोर पशु चिकित्सा सेवा के साथ **24x7** की चिकित्सा सेवा भी उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही पैथोलॉजिकल लैब का संचालन भी यहां से किया जा रहा है।
- राजकीय पशु चिकित्सालय, बाँकीपुर, पटना में इनडोर पशु चिकित्सा सेवा हेतु भर्ती किये गए पशुओं के रहने के लिए तत्काल पशु चिकित्सालय में उपलब्ध शेड का उपयोग कर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी

इससे संबंधित अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा जनहित में प्रचारित